P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-5* (Part-1) August- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

सबरीमाला मन्दिर – एक परिवर्तित दृष्टिकोण

नीतू गुप्ता
प्रवक्ता,
हिन्दी विभाग,
पी0पी0एन कालेज,
कानपुर

सारांश

केरल प्रदेश का सुरम्य पंपा क्षेत्र, जिससे 5 कि0मी0 की दूरी पर घने वनों से आच्छादित लम्बी पर्वत श्रृंखला पर स्थित पवित्र अयप्पा मन्दिर, भगवान विष्णु के मोहिनी रूप एवं शिव के समागम से उत्पन्न भगवान अयप्पा, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, एवं स्त्रियों के प्रवेश को भी वर्जित मानते है, ऐसे ब्रह्मचारी के पवित्र मन्दिर में क्या स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति देना, अमान्य न होगा?

मुख्य शब्द : सबरीमाला मन्दिर, केरल प्रदेश, अयप्पा मन्दिर।

प्रस्तावना

28 सितम्बर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया सबरीमाला मन्दिर का फैसला आज विवादास्पद है। ऐसा फैसला जो धार्मिक मान्यताओं को आहत करता है, कहाँ तक उचित है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर अयप्पा मन्दिर की सदियो पुरानी महिलाओं के प्रवेश न करने की परम्परा को तोड़कर अनेक मान्यताओं की अनदेखी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 26 के तहत प्रवेश पर बैन सही नही है, संविधान पूजा में भेद–भाव नही करता।

इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि हमारी संस्कृति में महिला का स्थान आदरणीय है, यहाँ महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है और मन्दिर में प्रवेश से रोका जा रहा है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अनुसार ''धर्म के नाम पर पुरूष वादी सोच ठीक नहीं है। उम्र के आधार पर मन्दिर में प्रवेश से रोकना धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है।''[1]

नारी का समाज में सम्माननीय व आदरणीय स्थान की गुहार लगाने वाले व्यक्तियों को सम्भवतः भारत का सटीक घटनाक्रम ज्ञात नही है जिसमें कहा गया है कि–

प्रत्येक 10 मि0 में बलात्कार
प्रत्येक 7 मि0 में महिला के खिलाफ अपराध
प्रत्येक 26 मि0 में महिला से छेड़छाड़
प्रत्येक 42 मि0 में महिला यौन उत्पीड़न
प्रत्येक 93 मि0 में दहेज के लिए जलाया जाता है।[2]

इसके अतिरिक्त अशिक्षा कुपोषण, घरेलू हिंसा विधवा स्थिति आदि को यदि गम्भीरता से देखा जाय, तो आज का ज्वलंत विषय महिलाओं की स्थिति में सुधार करना अधिक प्रतीत होता है न कि धार्मिक मान्यताओं से छेड़छाड़ करना।

सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सलाहकार राजू रामचन्द्रन ने कहा कि–

''मन्दिर में महिलाओं के प्रवेश में बैन ठीक उसी तरह है जैसे दलितों के साथ छुआछूत का मामला।''[3]

जबकि सुनवाई के दौरान केरल त्रावणकोर देवासम बोर्ड की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि–

''दुनिया भर में अयप्पा के हजारों मन्दिर है वहाँ कोई बैन नही है लेकिन सबरीमाला में ब्रह्मचारी देव है और इसी कारण तय उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर बैन है यह किसी के साथ भेदभाव नहीं है और न ही जेंडर विभेद का मामला है।''[4]

अभिषेक मनु सिंघवी ने जो विचार अयप्पा मन्दिर विवाद को लेकर प्रस्तुत किया है वे सटीक व स्पष्ट है क्योंकि मन्दिर प्रवेश में समस्त महिलाओं पर प्रतिबन्ध न होकर केवल 10 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं पर प्रतिबंध है, इसका कारण भी स्पष्ट है कि मुख्यतः इसी आयु में महिलाओं में मासिक धर्म आता है और क्योंकि अयप्पा भगवान नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, इसलिए मन्दिर परिसर में इस आयु की महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, इसे किसी भी

प्रकार से महिला स्वतन्त्रता से या बराबरी के मुद्दे से जोड़कर मामले को तूल देना अनुचित है।

केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को सही माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि मन्दिर में प्रवेश के पहले 41 दिनों के ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है मासिक धर्म के कारण महिलाएं इसका पालन नहीं कर पाती। इसलिए उनका मन्दिर में प्रवेश वर्जित है। यह प्राकृतिक है और हमें हिन्दू संस्कृति के अनुसार धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीध– दीपक मिश्रा, जस्टिस नरीमन, जस्टिस ए0एम0 खानविलकर, जस्टिस चन्द्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरूष प्रधानता वाले नियम बदले जाने चाहिये जो नियम पितृसत्तात्मक है वो बदले जाने चाहिये, हमारी संस्कृति में महिला का स्थान आदरणीय व ग्लोरीफाइड है।

इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन व अन्य ने भी इस प्रथा को चुनौती दी थी। उन्होंने यह कहते हुए कि यह प्रथा लैंगिक आधार पर भेदभाव करती है इसे खत्म करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान कहा गया कि–

''मन्दिर में महिलाओं को भी पूजा का समान अधिकार है ये मौलिक अधिकार है।''[5]

सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के एक अन्य न्यायाधीश के अनुसार–

''क्या संविधान महिलाओं के लिए अपमानजनक बात को स्वीकार कर सकता है, पूजा से इन्कार करना महिला गरिमा से इन्कार करना है।''[6]

ये समस्त तर्क अपने स्थान पर उचित है, समस्त तर्कों में महिला की गरिमा, महिला के समानता के अधिकार एवं मौलिक अधिकारों की बात कही गयी है, परन्तु वास्तविक मुद्दा तो ये है ही नहीं। मन्दिर परिसर में समस्त महिलाओं का नही वरन् एक निश्चित आयुवर्ग की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो इसमें महिला गरिमा या अपमान का विषय कहा आता है।

जैसा कि उसी पीठ की महिला जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि–

''इस मुद्दे का दूर तक असर जाएगा। धार्मिक परम्पराओं में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिये। अगर किसी को किसी धार्मिक प्रथा में भरोसा है तो उसका सम्मान हो। ये प्रथाएं संविधान से संरक्षित है। समानता के अधिकार को धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ ही देखना चाहिये। कोर्ट का काम प्रथाओं को रद्द करना नहीं है।''[7]

पूरे भारत में लगभग 20 लाख मन्दिर हैं। इन मन्दिरों में कुछ मन्दिर ऐसे भी है जहाँ पुरूषों का प्रवेश वर्जित है जैसे–

1. पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का मन्दिर है जिसमें कार्तिक पूर्णिमा के दौरान शादीशुदा पुरूषों का प्रवेश वर्जित है।
2. अट्टुकल मन्दिर त्रिवेन्द्रम, केरल
3. सावित्री माँ मन्दिर, राजस्थान।
4. कामाख्या मन्दिर, असम, यहाँ पुजारी भी एक स्त्री है।
5. चक्कुलथुकावु मन्दिर केरल, यहाँ विशेष अनुष्ठान के दौरान पुरूष प्रवेश वर्जित है।[8]

इन समस्त मन्दिरों में पुरूषों का प्रवेश वर्जित है तो कभी किसी पुरूष ने इसके लिए विवाद क्यों नहीं किया? कारण स्पष्ट है कि महिला अपने को कमजोर समझती है इसलिए वो एक के बाद एक जैसे– शनी मन्दिर शिंगनापुर, हाजी अली दरगाह मुम्बई आदि के मुद्दे उठाकर अपने को समान दिखाने की गुहार कर रही है परन्तु वास्तविकता ये नही है। इस तरह के मुद्दे उठाकर हम मात्र अपनी धार्मिक मान्यताओं को आहत करते है। अगर अधिकारों के लिए संघर्ष करना है तो शिक्षा के लिए संघर्ष करो, दहेज के लिए संघर्ष करो, समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए तथा अन्याय के लिए संघर्ष करो।

विदेशों में भी ऐसे बहुत से मन्दिर है जहाँ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। जैसे में ग्रीस में माउंट अथोस और जापान में ओकीनोशीमा परन्तु ऐसे विवाद की कोई घटना विदेशों में नही सुनी गयी।

ग्रीस में माउंट अथोस एक पवित्र पर्वत है, यहाँ महिलाओं के साथ पालतू मादा, जानवरों का प्रवेश भी वर्जित है। माउंट अथोस 20 मठों का एक गृह है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक भिक्षु रहते है और वहाँ पर मान्यता यह है कि महिलाओं का प्रवेश मात्र भी उनके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को बाधित कर सकता है, एवम् स्वयं महिलाओं ने भी कभी उस स्थान पर प्रवेश पाने हेतु किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं किया है।

इसी प्रकार से जापान में ओकीनोशीमा नाम का एक द्वीप है। इस स्थान पर भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है।[9] इस द्वीप को 9 जुलाई, 2017 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यह एक धार्मिक स्थान है, जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए पुरूषों को आकर स्नान करना होता है तथा समुद्र तट पर नग्न स्नान करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं को यहाँ आने की अनुमति नहीं है यह जापान के लिए धार्मिक दृष्टि से पवित्र स्थान है परन्तु यहाँ पर भी कोई विवाद नहीं है।

अध्ययन का उद्देश्य

सन 2011 भारत सरकार द्वारा की गई जनगणना एवं जन मूल्यांकन के अनुसार भारत में लगभग 25 करोड़ लोग अनपढ़ हैं और एक ऐसे देश में अनेकों बार दिग्भ्रमित करने वाले मत का लोगों द्वारा अंध समर्थन सामान्य बात है। अनेक मुद्दों की तरह सबरीमाला मंदिर मुद्दे को भी नारी अधिकार से जोड़ा गया जो कि वास्तव में नारी समानता या नारी अधिकार का मुद्दा है ही नहीं। सबरीमाला मंदिर के लिए परिवर्तित दृष्टिकोण एक पहल है यह दर्शाने की कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जिनको पूर्णता समझना अनिवार्य है।

साहित्यावलोकन

केरल हाईकोर्ट ने 1991 और 2015 में कहा था कि सबरीमाला मंदिर को अपनी परंपराएं जारी रखने का अधिकार है। बाद में अदालत ने यह भी कहा कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर लगी पाबंदी आयु पर आधारित है महिलाओं को वर्ग मानते हुए नहीं।

केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार ने नवंबर 2007 में अपने हलफनामे में कहा श्सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के वर्ग को प्रवेश देने से मना करना सही नहीं है।''[10]

सबरीमाला मन्दिर विवाद ने एक नया मोड़ लिया है। लगभग 5000 महिलाओं जो कि अयप्पा श्रद्धालु हैं ने केरल में पडांलन से लेकर त्रिवेन्द्रम तक एक पैदल यात्रा करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में निर्णय लिया, जिसमें उनका मानना है कि 10 से 50 आयुवर्ग की महिलाओं को मन्दिर में प्रवेश नहीं करना चाहिय और ऐसा वे किसी शारीरिक बंधन की वजह से नही कह रही है बल्कि अयप्पा भगवान पर उनका विश्वास एवं श्रद्धा है।

इसलिए उनका ऐसा मानना है कि उन्हे किसी भी सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर या धार्मिक मान्यताओं को तिलाजंलि देकर आगे नहीं बढ़ना चाहिये।

स्त्रियों की ऐसी विचाराधारा यह सिद्ध करती है कि उन्हें यदि पुरूषों से सम्मान प्राप्त करना है, तो उनके समान स्थान प्राप्त करना है तो वह अपने विचारों से ही अग्रणी बन सकती है।

स्त्री समस्याओं को लेकर कुछ इसी तरह की विचारधारा 'महादेवी वर्मा जी' की भी रही है, अपनी 'श्रृंखला की कड़िया' नामक निबन्ध संग्रह में उन्होंने स्त्री की दशा के विषय में जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त सटीक प्रतीत होता है–

''आज हमारी सामाजिक परिस्थिति कुछ और ही है। स्त्री न घर का अलंकार मात्र बनकर जीवित रहना चाहती है, न देवता की मूर्ति बनकर प्राण–प्रतिष्ठा चाहती है। कारण वह जान गई है कि एक का अर्थ अन्य की शोभा बढ़ाना है तथा उपयोग न रहने पर फेंक दिया जाना है तथा दूसरे का अभिप्राय दूर से उस पुजापें को देखते रहना है जिसे उसे न देकर उसी के नाम पर लोग बाँट लेगें।[11]

निष्कर्ष

निष्कर्ष स्वरूप अनेक पक्षों और विपक्षों का अवलोकन इसी ओर इंगित करता है कि हिंदू संस्कृति का सम्मान करते हुए धार्मिक मान्यताओं का आदर सर्वोपरि है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *चीफ जस्टिस – दीपक मिश्रा*
   https://navbharattimes.indiatimes.com/india/supreme-court-verdict-on-sabarimala-temple-women-entry/articleshow/65989803.cms
2. *नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो*
   http://ncrb.gov.in/
3. *राजू रामचन्द्रन– कोर्ट सलाहकार*
   https://khabar.ndtv.com/news/file-facts/sabarimala-verdict-case-supreme-court-lifts-ban-on-entry-in-sabarimala-temple-10-points-1923589
4. *अभिषेक मनु सिंघवी– सीनियर वकील देवासम बोर्ड*
   https://khabar.ndtv.com/news/file-facts/sabarimala-verdict-case-supreme-court-lifts-ban-on-entry-in-sabarimala-temple-10-points-1923589
   जस्टिस नरीमन, सुप्रीम कोर्ट फैसला।
   https://khabar.ndtv.com/news/file-facts/sabarimala-verdict-case-supreme-court-lifts-ban-on-entry-in-sabarimala-temple-10-points-1923589
5. *जस्टिस चन्द्रचूड़*
   https://khabar.ndtv.com/news/file-facts/sabarimala-verdict-case-supreme-court-lifts-ban-on-entry-in-sabarimala-temple-10-points-1923589
6. *जस्टिस इंदु मल्होत्रा।*
   https://khabar.ndtv.com/news/file-facts/sabarimala-verdict-case-supreme-court-lifts-ban-on-entry-in-sabarimala-temple-10-points-1923589
   HindiBoldsky.com
   Unesco World Heritage Site
   https://www.theguardian.com/world/2017/jul/10/japanese-sacred-island-where-women-are-banned-gets-unesco-world-heritage-listing
7. *लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट नवंबर 2007*
   https://www.bbc.com/hindi/india-39627313
8. *महादेवी वर्माः श्रृखंला की कड़ियाँ पृ0–112*